न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **03/2015** आवंटन निरस्ती

1. श्री गोपीलाल पिता जयरामजी ब्राम्हण, निवासी आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर
2. श्रीमती पार्वती बाई पिता जयरामजी ब्राम्हण, निवासी आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर
3. श्री दीपक पिता गोपीलाल जी ब्राम्हण, निवासी आमली, तहसील मावली जिला उदयपुर

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री रामलाल पिता जयरामजी ब्राम्हण निवासी आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर
2. श्रीमती मंजु पत्नि शान्तिलाल जी पालीवाल, निवासी आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवन्टन अधिनियम 1970 बाबत् आवन्टन निरस्त कराने हेतु

उपस्थितः 1. श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री विजय कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता विपक्षी सं. 2

निर्णय

दिनांकः—.....

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि मौजा आमली तहसील मावली में आराजी नम्बर 2141/717 रकबा 6 बिघा भूमि स्थित हैं। इस भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 व 2 व उनके पिता का कब्जा चला आ रहा हैं। विवादग्रस्त भुमि उसर होकर नाकाबिल काश्त हैं। यह पड़त होकर इस पर कभी काश्त नहीं हुई केवल घास होती है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण कर रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 ने धोखे व मिसरिप्रेजेन्टेशन से अपने नाम इस भुमि को अपने नाम करवा लिया जबकि जिस समय

आवन्टन कराया गया वह आवन्टन की पात्रता नहीं रखता था, वह नाबालिग होकर उस समय उसकी उम्र 16 वर्ष 5 माह 19 दिन थी। वह पिता के साथ ही रहता था व पिता के खाते में 17 बिघा भूमि थी उसमें से 10 बिघा पीवल थी। पीवल को डबल करने पर 27 बिघा भूमि बनती हैं। पिता भुमिहीन काश्तकार नहीं थे तथा स्वयं भी पिता के शामिल होने से भुमिहीन काश्तकार नहीं थें। नाबालिग होते हुए भी बालिग बताकर धोखे व मिसरिप्रजन्टेशन से आवंटन करवा दिया। आवंटन के पूर्व कोई प्रोक्लेमेशन भी जारी नहीं किया। ना कभी आवंटी द्वारा काश्त भी की गई। पटवारी से मिलकर धोखे से खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिये। विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर दी। यह विक्रय एबइनिश्योवोईड हैं। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की। नियमो के विपरीत भूमि का विक्रय कर दिया। विपक्षी संख्या 2 को भी यह ज्ञान था कि यह आवंटन गलत हुआ हैं। फिर भी भूमि को खरीद लिया। जब आवंटन शर्तो की पालना ही नहीं की गई तो गैर खातेदारी से खातेदारी पटवारी हल्का से मिलकर दिये गये खातेदारी अधिकार नियमो के विपरीत होकर काबिले निरस्त हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 के हक में किया गया उक्त भूमि का आवंटन निरस्त फरमाया जाकर कथित भूमि को राजस्व रेकार्ड में पुनः आवंटन के पूर्व की स्थिति कायम फरमायी जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजुद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहा हैं। उसके विरूद्ध दिनांक 22.05.17 को एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया गया है कि मौजा आमली की आराजी नम्बर 2141/717 रकबा 6 बिघा भुमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में मेरे नाम पर दर्ज हैं। उक्त भुमि को मेरे

द्वारा विपक्षी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.10.10 को क्रय कर कब्जा लिया हैं। तभी से मैं उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रही हुॅ। मेरे द्वारा उक्त भूमि को क्रय करने के बाद एक ट्यूबवेल खुदवाया हैं। क्रय करने से पूर्व उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा था। खरीद दिनांक से मेरा कब्जा हैं। वर्तमान में भूमि पर काश्त कर रही हूॅ। कभी काश्त नहीं हुई। कथन बिल्कुल गलत हैं। उक्त भुमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 से दिनांक 27.05.82 को हुआ। जो आवंटन हुआ वह विधिवत नियमो के परिपेक्ष्य में हुआ। आवंटन पश्चात् विधिवत पटवारी द्वारा कब्जा सिपूर्द किया गया। जिसका पर्चा मौका भी तैयार किया गया। इस संबंध में पूर्व में प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपजिला कलक्टर मावली के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसके वाद नम्बर 06/12 होकर दिनांक 19.09.13 को प्रार्थी द्वारा राजीनामे के आधार पर वाद को विड्रो कर लिया था। इसके बाद एक दुसरा वाद बॅटवाड़े का भी प्रस्तुत किया जिसके साथ में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या 200/14 होकर न्यायालय द्वारा 11.11.14 को एकतरफा आदेश देते हुए रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 2 द्वारा न्यायालय में दिये गये जवाब के आधार पर दिनांक 11.11.14 को एकतरफा स्थगन आदेश को भी निरस्त कर दिया। सम्वत् 2071 की खसरा गिरदावरी में भी काश्त ज्वार बता रखी हैं। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 2 एवं विपक्षी संख्या 1 द्वारा आबादान करने में काफी श्रम एवं पैसा खर्च किया गया। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के पिता जयराम जी के कुल 7 संताने थी। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 के हिस्से में नाम मात्र की भूमि हिस्से में आती हैं। वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार था। कोई कथन छिपाकर आवंटन नहीं करवाया गया। प्रार्थी गोपीलाल द्वारा भी अपनी अन्य खातेदारी भूमि में से अपना हिस्सा गोपीदेवी पत्नि

कन्हैयालाल डांगी निवासी माला मगरा (गादोलीखेड़ा) को विक्रय कर दी। विपक्षी संख्या 1 को भुमि दिनांक 27.05.82 को आवंटीत हुई जिसे लगभग 35 वर्ष का समय होने आया। इतने लम्बे समय बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। खातेदारी अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती हैं। एक बार जब खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है तो उसके बाद नियम 14(4) के प्रावधान आकर्षक नहीं होते हैं। पूर्व में भी राजीनामे के आधार पर वाद विड्रो हो चुका हैं। बॅटवाड़े का वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं। ऐसी स्थिति में रेग्युलर वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं। प्रार्थी 14(4) के अन्तर्गत कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। मेरे द्वारा भुमि को जरिये विक्रय पत्र से क्रय किया गया हैं। विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत व खातेदारी भुमि के संबंध में नियम 14(4) के तहत शर्तो का उपयोग नहीं किया जा सकता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर जवाबुल जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं। अपने जवाबुल जवाब में निवेदन किया गया है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 को जानबुझकर भुमि का विक्रय किया। क्योंकि उस भूमि पर विपक्षी रामलाल का एक भी दिन कब्जा नहीं रहा। नाही उसके द्वारा कब्जा दिया गया। वर्तमान में कब्जा प्रार्थी का ही हैं। जिस ट्युबवेल का हवाला अपने जवाब में दिया गया है वह प्रार्थी द्वारा ही खुदवाया गया हैं। फसल भी प्रार्थी द्वारा ही काश्त की जा रही हैं। प्रार्थी द्वारा जो मुकदमा नम्बर 06/12 का वाद पेश किया गया है वह विवादग्रस्त भूमि के संबंध में नहीं था। आज भी मौका देखा जावे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जावेगी। विपक्षी द्वारा यह आवंटन धोखे से व मिसरिप्रेजेन्टेशन से

अपने नाम करवाया गया हैं। खातेदारी अधिकार से किसी को राईट टाईटल नहीं मिलता हैं। खातेदारी अधिकार के बाद भी आवंटन निरस्त किये जा सकते हैं। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 63 में संशोधन कर दिया गया हैं। जिस वाद का वर्णन किया गया है व अन्य भुमि का होकर इस प्रकरण से उस भूमि का कोई संबंध नहीं हैं। इस वादग्रस्त भुमि पर कब्जा सदैव प्रार्थी का रहा हैं। विपक्षी संख्या 2 को कब्जा सिपुर्द किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा किया गया विक्रय वोईड हैं। जिसे कानुनन देखा ही नहीं जा सकता हैं। ऐसे विक्रय पत्र को निरस्त कराने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। आवंटन निरस्त होने पर विक्रय पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। अतः विपक्षी संख्या 1 के हक में किया गया आवंटन मय खर्चा खारीज फरमाया जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा आमली की प्रश्नगत आराजी नम्बर 2141/717 रकबा 6 बिघा भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 ने धोखे व मिसरिप्रजेन्टेशन से अपने नाम आवंटन करवाया। आवंटन के समय विपक्षी की उम्र 16 वर्ष 5 माह 19 दिन थी। उस समय वह नाबालिग होकर अपने पिता के साथ में निवासरत था। उस समय पिता के खाते में 10 बिघा पीवल एवं 7 बिघा असिंचित भूमि थी। पीवल भूमि को डबल मानी जावे तो कुल 27 बिघा भूमि प्रार्थी के पिता के खाते में होती हैं। प्रार्थी स्वयं पिता के शामिल रहने से भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता। इस भुमि पर कब्जा भी प्रार्थी के पिता का था। कभी भी विपक्षी द्वारा काश्त नहीं की गई। जिन्स गिरदावरी संवत् 2043 से 2050 तक में यह भूमि पड़त हैं। जिससे स्वतः साबित होता है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर काश्त नहीं की गई। नाही यह भूमि काबिल काश्त हैं। भूमि उसर होकर नाकाबिल काश्त हैं। विपक्षी यह जानता था कि उसके द्वारा यह भूमि

धोखे से आवंटन करवायी हैं। इसलिये उसके द्वारा पटवारी से मिलीभगत कर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर दी गई। वक्त आवंटन आवंटन कमेटी भी अपुर्ण थी। आवंटी द्वारा कभी भी आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। नियम 7 के अनुसार 30 दिन या 15 दिन के प्रोक्लेमेशन जारी करना मेन्डेटरी हैं। प्रोक्लेमेशन भी जारी नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 2 द्वारा इस प्रश्नगत भूमि पर जबरन कब्जा करना चाह रही हैं। इस कारण तुरन्त आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय ने समय समय पर यह निर्णय पारित किया है कि यदि कोई आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन या फ्रोड से किया गया है ऐसे एबइनिश्योवोईड आदेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता हैं। आवंटी या विपक्षी संख्या 1 वक्त आवंटन नाबालिग था जो आवंटन की पात्रता नहीं रखता था। जहॉ खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में निवेदन है कि काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 में संशोधन किया गया हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। काश्त भी नहीं की गई। इस संबंध में जिन्स गिरदावरी की नकले संलग्न हैं। अतः कृपया ऐसे आवंटन को निरस्त कराया जाना फरमावें। अपनी बहसी की ताईद में आर बी जे 1998 पेज 554, आर बी जे 2013 पेज 699, आर आर डी 2007 पेज 93, आर आर टी 2009 (1) पेज 113, आर बी जे 2013 पेज 120, आर आर डी 1985 पेज 564, आर आर डी 1982 पेज 494, आर बी जे 2013, पेज 621, आर बी जे 2007 पेज 492, आर आर टी 2009 (2) पेज 1221, आर बी जे 2000 पेज 547, आर आर डी 1995 पेज 340, आर आर डी 2001 पेज 142, आर आर टी 2009 (1) पेज 64, आर आर डी 1994 पेज 311, आर आर टी 2007 (2) पेज 1048 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी के कथनो का विरोध करते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत भुमि पर वर्तमान में कब्जा विपक्षी संख्या 2 का हैं। विपक्षी संख्या 2 द्वारा इस भूमि को दिनांक 19.10. 10 को जरिये विक्रय पत्र से विपक्षी संख्या 1 रामलाल उर्फ रमेश से क्रय की गई। क्रय दिनांक से ही इस भूमि पर कब्जा काश्त विपक्षी संख्या 2 का ही हैं। विपक्षी संख्या 2 द्वारा इस भूमि पर एक ट्यूबवेल खुदवाया हैं। इस भूमि पर पूर्व में काश्त विपक्षी संख्या 1 द्वारा की जाती रही। उसके बाद में काश्त विपक्षी संख्या 2 द्वारा की जाती रही हैं। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि इस भूमि पर कब्जा विपक्षी का नहीं हैं और नाही उसके द्वारा कभी काश्त की गई। हकीकत यह है कि आवंटन के समय से ही इस भूमि पर कब्जा काश्त आवंटी विपक्षी संख्या 1 का रहा हैं। उसके द्वारा नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त कर उसको पारिवारिक कारण से रूपयो की आवश्यकता होने से उस भूमि को विपक्षी संख्या 2 को विक्रय पत्र से विक्रय कर दी। जब तक विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है तब तक आवंटन निरस्त नहीं हो सकता हैं। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 दोनो सगे भाई हैं। इनके मध्य में भूमियो संबंधी विवाद भी हुआ। जिसका वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली में प्रस्तुत किया गया। जहॉ पर भी राजीनामे से प्रकरण विड्रो किया गया। आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत तरीके से भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया। जहॉ तक पिता के खाते की भूमि का प्रश्न है उसके पिता की कुल 7 संताने थी। उस हिसाब से विपक्षी के हिस्से में नाम मात्र ही भूमि आती हैं। प्रार्थी स्वयं द्वारा भी अपनी कृषि भुमि विक्रय कर दी गई हैं। 33 वर्ष पश्चात् खातेदारी अधिकार प्राप्त भुमि के आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत व

खातेदारी भूमि के संबंध में नियम 14(4) के तहत शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का मिसरिप्रजेन्टेशन अथवा धोखाधड़ी करके उक्त आवंटन कराया हो या उसने आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया हो। ऐसा विपक्षी संख्या 1 द्वारा नहीं किया गया हैं। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। विपक्षी के यह कथन कि कब्जा मौके पर विपक्षी संख्या 1 का नहीं हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि आवंटन के पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कब्जा मौतबिरानो की उपस्थित में दिया गया। तब से कब्जा विपक्षी का रहा हैं। विपक्षी को अपने पारिवारीक कारणो से रूपयो की आवश्यकता होने के कारण भूमि को विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर दिया गया। विपक्षी संख्या 2 इस भूमि पर नियमित रूप से कब्जे काश्त हैं। संवत् 2071, 2072, 2073 की संलग्न जिन्स गिरदावरी में इस भूमि पर की गई काश्त दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 2 द्वारा इस भूमि में एक मकान भी बनाया हैं। जिसका भी प्रमाण पत्र साथ में संलग्न हैं। प्रथम दृष्ट्या इससे साबित होता है कि इस प्रश्नगत भूमि पर कब्जा वर्तमान में विपक्षी संख्या 2 का हैं। अपने कथनो की ताईद में 2012 (2) डी एन जे राज पेज 602, 2011 (2) डी एन जे राज पेज 709, आर आर डी 2010 पेज 78, आर आर टी 2003 (2) पेज 921, आर आर टी 2009 (2) पेज 1299, 2007 (2) आर आर टी पेज 1194, 2007 (2) आर आर टी पेज 1081, 2009 (1) आर आर टी 453 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने दस्तावेजो में प्रस्तुत विपक्षी संख्या 1 का जन्म दिनांक का प्रमाण पत्र पाठशालान्तर प्रवेशनुज्ञा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तहसील मावली का क्रम संख्या 44 दिनांक 03.

01.15 का प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 03.01.15 का जारीशुदा होकर डुप्लिकेट कॉपी की छायाप्रति हैं। जबकि भुमि आवंटन कमेटी का बैठक गॉव आमली में दिनांक 27.05.82 को हुआ। विपक्षी के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.03.82 को जो जॉच की गई है उसमें क्रम संख्या 2 पर आवेदक बालिग है या नाबालिंग है वहॉ पर पटवारी द्वारा स्पष्ट अक्षरो में बालिग अंकित किया हैं। उसी पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को भुमि का आवंटन हुआ हैं। साथही अधिनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। जिसमें दिनांक 27.05.82 को आवंटन कमेटी के सभी सदस्य वक्त आवंटन गॉव आमली में मौजुद थे जिनके द्वारा ही विपक्षी संख्या 1 को भुमि का आवंटन किया गया। आवंटन के पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा मौतबिरानो के समक्ष दिनांक 11.06.82 को आवंटीत भुमि का कब्जा विधिवत सिपुर्द किया जाकर दखलनामा प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली के साथ में संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथन साबित नहीं होते हैं। विपक्षी को भूमि का आवंटन आज से करीबन 35 वर्ष पूर्व हुआ हैं। इस दर्मियान विपक्षी द्वारा भुमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त कर भुमि को विक्रय भी कर दी गई हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन नियम 14(4) लागु नहीं होता हैं। इसके तहत आवंटन को खारीज नहीं किया जा सकता हैं। क्योंकि खातेदारी अधिकार प्राप्त होते ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकार मिल जाते हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् दिनांक 19.10.10 को पंजीकृत विक्रय पत्र से विपक्षी संख्या 2 श्रीमती मंजु पत्नि शान्तिलाल पालीवाल को विक्रय कर दी गई और मौके पर वह काबिज हैं।

आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह जाहीर नहीं होता है कि विपक्षी द्वारा भुमि का आवंटन मिस रिप्रेजेन्टेशन अथवा धोखाधड़ी से

करवाया गया हैं अथवा उसके द्वारा अपने आवेदन पत्र में कोई तथ्य छिपाये गये हो। आवंटी के आवेदन पत्र की जॉच पटवारी हल्का द्वारा विधिवत की जाकर उनके पिता के नाम पर जो भी भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी उसका अंकन भी जॉच रिपोर्ट में किया गया हैं। जिससे प्रार्थी का यह कथन साबित नहीं होता है कि विपक्षी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता था।

बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय का मत है कि विपक्षी संख्या 1 को भुमि का आवंटन, आवंटन कमेटी द्वारा आज से करीब 35 वर्ष पूर्व विधिवत उसे बालिग मानते हुए किया गया हैं। वर्तमान में आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं एवं उसके द्वारा भुमि को विक्रय भी कर दी गई है ऐसी स्थिति में आवंटन को खारीज किया जाना न्यायोचित नहीं होगा एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन नियम 14 (4) लागु नहीं होते हैं। इसके तहत आवंटन को खारीज नहीं किया जा सकता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाया जाने से खारीज किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर